पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द, आर.ए.एस.

अपील संख्या—2016/0027 (0286/2016) 223 आर टी एक्ट

कृष्णा पुत्री नन्दराम पत्नी हरजीराम जाति जाट निवानी बिल्लुबास भईया तहसल सरदारशहर जिला चुरू।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दौलतराम
2. सुरेन्द्र
3. हंसराम

} पि0 भादरराम जाति जाट निवासी खुईयॉ तहसील नोहर

4. भादरराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. जैतो देवी पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. विद्या
7. सोना
8. कमला
9. दाखा
10. चावली
11. सावित्री

} पुत्रियॉ नन्दराम जाति जाट निवासी खुईयॉ तहसील नोहर।

12. औमप्रकाश पुत्री धापी पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर
13. विक्की पुत्री धापी पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2014 उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 170/2013 बअनवानी दौलतराम बनाम जैतो देवी आदि

उपस्थित— श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री मनीराम सरावरा रेस्पो0

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 13

निर्णय

दिनांक 19/3/19 29.03.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अर्जीदावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थना—पत्र में वसीयत के आधार पर वादीगण संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध अस्थाई निषधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.08.2014 के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल में वादी ने दावा में प्रश्नगत भूमि को नन्दराम की भूमि बताते हुए एवं नन्दराम द्वारा उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में वसीयत करते हुए दावा पेश किया था। दावा में अपीलांट प्रतिवादीया संख्या 8 थी। दिनांक 29.03.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9, 10

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ने इकबालदावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीयों संख्या 8/अपीलाण्ट को कोई तामील नहीं हुई। अपीलाण्ट ने कोई जवाब भी नहीं दिया और वादी/रेस्पोडेण्ट ने अन्य पक्षकारों के इकबालदावा के आधार पर वादी ने वाद डिक्री करवा लिया। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति का कोई कारण नही लिखा गया ना ही अपीलाण्ट को कहीं उपस्थित नहीं दिखाया गया इसके बावजूद दावा डिक्री किया गया है, जो कतई गलत एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा काबिले खारिज है। वादीगण के पिता को यह भलीभान्ती ज्ञान था कि वादग्रस्त भूमि की पूर्व में डिक्री हो चुकी है जिसकी अपील माननीय न्यायालय में चली जो दिनांक 29.05.2015 को विदड्रा करली गई थी। पूर्व में जारी की गई डिक्री के रहते दूसरी डिक्री जारी नहीं हो सकती है। वाद उसके अपने पुत्रों के द्वारा दावा पेश करवाकर फर्जी तरीके से इकबाल जवाब पेश करके अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया हैं वसीयत के आधार पर दावा पेश किया गया था जबकि वसीयत का पूर्व में प्रनोट जारी करवाना कानूनन प्रावधान है तथा अगर कोई वसीयत होती है तो व्यक्ति के मरने के बाद उक्त वसीयत की कार्यवाही तहसीलदार के द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही होती है। 88 आरटीएक्ट के तहत वाद लाने की अधिकारिता नहीं होती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर्बीजे (25) 2018 पेज 318 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि नन्दराम की खुद की भूमि थी जिसे उन्होंने अपने पोतों के नाम वसीयत कर दी। वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वसीयत आज भी प्रभावी है। वसीयत के प्रभाव में रहते हुए अपीलाण्ट किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद प्रस्तुत की है। देरी का कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नहीं है। पूर्व में यदि कोई दावा हुआ भी है तो उसकी पालना नहीं हुई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपील अपील और बहस में आये तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 16.07.2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 8, 9, 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। तामील रजिस्टर्ड सम्मन से किया जाना अंकित किया है, किन्तु रजिस्टर्ड सम्मन की रसीदें एवं सम्मन पत्रावली में शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक इकबाली जवाबदावा एवं वकालतनामा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9, 10 की और से शामिल पत्रावली है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 8 का जवाबदावा एवं वकालतनामा पत्रावली में पेश किया जाना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में नन्दराम के पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 भादरराम एवं पुत्रियों प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 का कोई एतराज नहीं होना अंकित किया है जबकि प्रतिवादिया 8 का कोई जवाब/सहमति नहीं है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस पूर्व के निर्णय के बारे में जो तथ्य बताये गये हैं उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। भूमि पैतृक होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2014 निरस्त किया जाता है एवं

को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/3/19

मूल चन्द (आर0 ए0 एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official